

नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं

निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/11 से 3/14 तक

भाग—एक

1 (क) प्रारम्भिक:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल0ए0) -खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:—

प्रधान:—

| क्र०सं० | नाम                  | अवधि                 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 1       | श्री ओम प्रकाश शर्मा | 01.04.11 से 31.03.14 |

सचिव:—

| क्र०सं० | नाम                                | अवधि                 |
|---------|------------------------------------|----------------------|
| 1       | श्री पी०सी० नेगी नायब तहसीलदार     | 01.04.11 से 28.02.12 |
| 2       | श्री लाक राम शर्मा नायब तहसीलदार   | 01.03.12 से 30.06.13 |
| 3       | श्री राजेन्द्र ठाकुर नायब तहसीलदार | 01.08.13 से 31.03.14 |

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

नगर पंचायत नारकण्डा के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/14 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

| क्र०सं० | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार                                   | पैरा सं० | ₹ लाखों में |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1       | दिनांक 31.3.14 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि                        | 5.1      | 145.14      |
| 2       | वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का वेतन पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय | 5.2      | 3.13        |

|    |                                                                                                  |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 3  | IDSMT से प्राप्त अनुदान राशि का अनियमित व्यय                                                     | 5.3    | 17.28  |
| 4  | D.C./BDO से सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को गत 6 वर्षों से व्यय न करना   | 5.4    | 4.00   |
| 5  | नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्वीकृत बजट से कम व्यय करने बारे                             | 6      | 153.12 |
| 6  | दिनांक 31.3.14 को गृहकर की बकाया राशि वसूली योग्य शेष                                            | 7      | 5.14   |
| 7  | हि0प्र0 के वित्त विभाग की सिफारिशों के आधार पर गृहकर को अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि | 7 (3)  | 3.13   |
| 8  | दिनांक 31.3.14 को किराये के रूप में बकाया राशि वसूली योग्य शेष                                   | 8      | 17.86  |
| 9  | मोबाईल टावर/कम्पनियों से मोबाईल टावर स्थापना शुल्क के रूप में वसूली योग्य शेष                    | 10 (1) | 1.24   |
| 10 | वेतन का गलत निर्धारण करने के कारण अधिक/अनुचित भुगतान                                             | 12 (1) | 0.22   |
| 11 | नगर पंचायत सचिव/पटवारी को मानदेय का अनियमित भुगतान                                               | 13     | 0.46   |

### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "अ" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## भाग-दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/14 तक का अंकेक्षण श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 09.07.14 से दिनांक 20.09.14 तक नगर पंचायत नारकण्डा में किया। आय व व्यय के लेखाओं के अंकेक्षण के लिये माह क्रमश 2/12, 3/13, 3/14 का चयन आय की विस्तृत जाँच तथा माह क्रमश: 11/11, 12/13, 11/13 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में दर्शाया गया है। वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेखों के आधार पर किया गया। संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्क:-

नगर पंचायत नारकण्डा के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/14 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹23400/- बनता है। सचिव, नगर पंचायत, नारकण्डा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 20.09.14 द्वारा इस राशि को ₹23400/- निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश में शीघ्र जमा करने का अनुरोध किया गया है।

### 4 वित्तीय स्थिति:-

अंकेक्षणाधीन अवधि के लिए नगर पंचायत के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| Statement of Financial position of N.P. Narkanda for the period 4/11 to 3/14 |              |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Year                                                                         | Sources      | Opening Bal.       | Income             | Total              | Exp.               | Closing Bal.       |
| 2011-12                                                                      | Own Sources  | 3387892.50         | 17357809.57        | 20745702.07        | 17578776.00        | 3166926.07         |
|                                                                              | G.I.A.       | 11707110.00        | 7863307.00         | 19570417.00        | 2996650.00         | 16573767.00        |
|                                                                              | <b>Total</b> | <b>15095002.50</b> | <b>25221116.57</b> | <b>40316119.07</b> | <b>20575426.00</b> | <b>19740693.07</b> |
|                                                                              |              |                    |                    |                    |                    |                    |

|         |              |                    |                   |                    |                   |                    |
|---------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2012-13 | Own Sources  | 3166926.07         | 2144660.00        | 5311586.07         | 3265097.00        | 2046489.07         |
|         | G.I.A.       | 16573767.00        | 1168832.00        | 17742599.00        | 804561.00         | 16938038.00        |
|         | <b>Total</b> | <b>19740693.07</b> | <b>3313492.00</b> | <b>23054185.07</b> | <b>4069658.00</b> | <b>18984527.07</b> |
|         |              |                    |                   |                    |                   |                    |
| 2013-14 | Own Sources  | 2046489.07         | 2230821.00        | 4277310.07         | 3321768.00        | 955542.07          |
|         | G.I.A.       | 16938038.00        | 1449584.00        | 18387622.00        | 3873148.00        | 14514474.00        |
|         | <b>Total</b> | <b>18984527.07</b> | <b>3680405.00</b> | <b>22664932.07</b> | <b>7194916.00</b> | <b>15470016.07</b> |

दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ वही का अन्तशेष ₹15470016.07 है। बैंकों एवं सावधि योजना के अनुसार 31.3.14 को अन्तशेष ₹15457225.07 बनता है। अतः रोकड़ बही तथा बैंकों के शेषों एवं सावधि योजना में निवेशित राशियों में जो अन्तर है उसकी समाधान विवरणिका निम्न प्रकार से है:—

**बैंकों एवं सावधि योजना में 31.03.14 तक राशियों का विवरण:—**

| (क) बैंक का नाम                            | खाता सं०/सावधि सं० | 31.3.14 तक जमा राशि ₹ में |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| हि०प्र० सहकारी बैंक नाकरण्डा               | 2939               | 4306871.15                |
| यूको बैंक नारकण्डा                         | 3322               | 3255759.57                |
| स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रामपुर               | 7984               | 820.55                    |
| पंजाब नेशनल बैंक कुमारसैन                  | 4455               | 10331.80                  |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नारकण्डा             | 65115290152        | 242313.00                 |
| (ख) सावधि योजना में निवेशित राशि का ब्यौरा |                    |                           |
| यूको बैंक नारकण्डा                         | F/07-215616/03/07  | 1820602.00                |
| यूको बैंक नारकण्डा                         | F/07-215615/02/07  | 819409.00                 |
| यूको बैंक नारकण्डा                         | F/12-213744        | 5001118.00                |
|                                            | <b>कुल योग</b>     | <b>15457225.07</b>        |
| रोकड़ बही के अनुसार 31.3.14 को शेष         |                    | 15470016.07               |

Less:—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 31.3.07 के पैरा 2 (1) में जो राशियाँ बैंक में जमा होनी थी जिसे अंकेक्षण के दौरान

बैंकखाता संख्या 2939 हि0प्र0 सहकारी बैंक, नारकण्डा जिला (-) 791.00  
 शिमला में दिनांक 13.8.14 को जमा करके समाधान कर दिया

15469225.07

घटाव:-

Less:-

निम्नलिखित चैकों को बैंक से जमा किया गया परन्तु 31.3.14  
 तक रोकड़ बही में जमा नहीं दर्शाये

| रसीद सं०/दि०   | चैक सं० | राशि ₹ में |             |
|----------------|---------|------------|-------------|
| 1678 / 26.3.14 | 447169  | 8694       |             |
| 1687 / 31.3.14 | 677185  | 4000       |             |
| 1696 / 31.3.14 | 965417  | 4000       | 16694.00    |
|                |         |            | 15452531.07 |

चैक संख्या 263300 ₹18000/- को बैंक में जमा करवाना (-) 12600.00  
 परन्तु 31.3.14 तक ने खाते के ₹5400 में जमा किये

15439931.07

जमा:-

भुगतान हेतु चैक जारी किये गये पर बैंक से 31.3.14 तक  
 निकासी नहीं हुई:-

| वा०सं०/दि०                                      | चैक सं०/दि०      | राशि  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|
| 317 / 24.3.14                                   | 837728 / 24.3.14 | 14942 |              |
| 319 / 28.3.14                                   | 837730 / 28.3.14 | 2352  |              |
|                                                 |                  | 17294 | 017294       |
| 31.3.14 को बैंक खातों एवं सावधि में जमा राशियाँ |                  |       | ₹15457225.07 |

#### 4.2 ₹11152.35 पिछले कई वर्षों से बिना संचालित खाते में अनावश्यक रूप में रखने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने पी0एन0बी0 कुमारसैन खाता संख्या  
 4455 तथा भारतीय स्टेट बैंक रामपुर जिला शिमला खाता संख्या 7984 में बिना किसी

आवश्यकता के पिछले कई वर्षों से ₹10331.80 व ₹820.55 को रखा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत इन खातों से कोई Transaction नहीं की जा रही है। अंकेक्षण में इन बैंकों में दिनांक 31.3.14 तक कितनी जमा राशियाँ हैं, के प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन खातों में वर्तमान तक समस्त प्रविष्टियाँ करवा कर इन्हें रोकड़ बही में लेखाबद्ध किया जाए व अनेक वर्षों से चल रहे इन निष्क्रिय खातों को अविलम्ब बन्द करके राशि को नगर पंचायत के हस्तांतरण की जाये तथा इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरा संख्या 4.2 में भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसकी अनुपालना अब सुनिश्चित की जाए।

#### 4.3 निवेश:-

अवधि 4/11 से 3/14 तक बैंकों में सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

#### 4.4 बैंक द्वारा ₹5745/- के ब्याज के रूप में कम अदायगी:-

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित निवेश पर अर्जित ब्याज की पड़ताल पर पाया गया कि बैंक द्वारा ₹5745/- ब्याज के रूप में कम अदायगी की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अब वसूली हेतु मामला सम्बन्धित बैंक से उठाए जाए व ₹5745/- की राशि की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| FDR No.      | Name of Bank          | Amount interested | Dated Invested | Date of Maturity | Rate of | INt. paid by | Less int.    |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| 215615/03/07 | यूको बैंक<br>नारकण्डा | 625348            | 1.4.11         | 31.3.12          | 9%      | 683557       | 681754 1803  |
| 215618/03/07 | यूको बैंक<br>नारकण्डा | 1389431           | 31.3.11        | 31.3.12          | 9%      | 1518764      | 1574822 3942 |

5745

#### 5 अनुदान:-

अवधि 1.4.11 से 31.3.14 तक के दौरान सरकार से विभिन्न शीर्षों से प्राप्त अनुदानों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

**5.1 विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से दिनांक 31.03.14 तक ₹14514474/- का व्यय न करना:-**

उक्त अनुप्युक्त अनुदान राशि ₹14514474/- को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत खर्च न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इन अनुदान राशियों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर इन्हें उन्ही उद्देश्य हेतु व्यय किया जाये जिस हेतु इन्हें प्राप्त किया गया था अन्यथा इन अनुदान राशियों को सम्बन्धित विभाग को प्रत्यापण किया जाये।

**5.2 वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से ₹3.13 लाख का अनाधिकृत व्यय:-**

नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2011-12 तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ₹622988/- तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹267800/- वर्ष 2012-13 में चौथे वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹724572/- 13<sup>th</sup> वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹268900 और वर्ष 2013-14 में 4<sup>th</sup> वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹400013 तथा 13<sup>th</sup> वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹557600/- प्राप्त हुये थे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उक्त अनुदान में 20% राशि को स्थापना के लिये, सदस्यों के मानदेय के लिए तथा Development works जैसे maintenance of Assests, roads, streets, Drainage, Street light, Public toilets आदि के लिये स्वीकृत थे। निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय-2 पत्रों में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि अनुदान जिस उद्देश्य हेतु जारी किया गया इस उद्देश्य पर ही राशि का व्यय किया जाये। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान अनुदान राशि का वेतन पर निर्धारित राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया। अतः वर्ष 2011-12 में नगर परिषद में 3<sup>rd</sup> वेतन आयोग से प्राप्त अनुदान राशि ₹622988/- में से ₹124598 ही व्यय वेतन पर वहन किए जाने अपेक्षित थे जबकि वेतन पर ₹178173/- का व्यय किया गया अर्थात् ₹53575/- अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2012-13 में 4<sup>th</sup> वेतन आयोग के अन्तर्गत ₹724572/- प्राप्त हुये जिसमें से वर्ष 2012-13 में वेतन पर ₹262965/- खर्च किये जबकि नियमानुसार अनुदान का 20% ही वेतन पर खर्च किया जाना था जोकि ₹144914/- ही खर्च का वहन अनुदान से किया जाना था इस प्रकार वर्ष 2012-13 में ₹118051/- का अधिक एवं अनाधिकृत व्यय किया वर्ष 2013-14 में 13<sup>th</sup> वेतन आयोग में प्राप्त अनुदान ₹557600/- में से ₹252714/- का खर्च वेतन के भुगतान के लिये किया जबकि 40% के आधार पर वेतन

पर ₹111520/- खर्च किये जाने थे। इस प्रकार ₹141194/- का खर्च अधिक व अनाधिकृत रूप से किया। अतः वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> तथा 13<sup>rd</sup> वित्त आयोग में प्राप्त अनुदानों में राशि क्रमशः ₹53575/-, ₹118051/- तथा ₹141194/- का अधिक एवं अनाधिकृत व्यय किया अनाधिकृत तरीके से किये गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की प्रतिपूर्ति करके उसी उद्देश्य हेतु व्यय किये जाये जिस हेतु इसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था।

### **5.3 IDSMT मे प्राप्त अनुदान राशि में से ₹17.28 लाख का अनाधिकृत व्यय:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को IDSMT Project Narkanda के लिये अवधि 2004-05 से 2009-10 तक कुल अनुदान ₹8281000/- प्राप्त हुआ तथा उक्त राशि को IDSMT Project के लिये ही व्यय किया जाना अपेक्षित था अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त IDSMT Project की अनुदान राशि में से वर्ष 2011-12 में ₹299536/- तथा वर्ष 2013-14 में ₹1428393 अन्य विकास कार्यों में खर्च किये यह अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाय अन्यथा उक्त अनुदान से अनाधिकृत रूप से किये गये व्यय की भरपाई न0प0 निधि से करके उसी उद्देश्य हेतु व्यय की जाए जिस हेतु इसे सरकार द्वारा स्वीकृति किया गया है।

### **5.4 Public Toilet बनाने हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹400000/- को लगभग 6 वर्ष से अनुप्युक्त रखने बारे:-**

नगर पंचायत को पंचायत सीमा के भीतर Public Toilet के निर्माण के लिये ₹400000/- अवधि 2007-08 में उपायुक्त शिमला से अनुदान प्राप्त हुये थे लगभग 7 साल बीत जाने पर भी यह अनुदान जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ उस उद्देश्य हेतु व्यय नहीं किया गया और न ही इस अनुदान राशि प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान को शीघ्र दी गई शर्तों के अनुसार खर्च करना सुनिश्चित किया जाये ताकि नागरिकों को सुविधा का लाभ मिल सके।



**5.5 वर्ष 2012-13 व 2013-14 के दौरान अनुदान से किये व्यय का रोकड़ बही तथा अनुदान वर्कस रजिस्टर में ₹5.43 लाख के अन्तर बारे:-**

नगर पंचायत के लेखों अवधि 4/12 से 3/14 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में अनुदान से दर्शाये व्यय तथा वर्कस रजिस्टर एवं अनुदान रजिस्टर में दर्शाये व्यय में ₹542685/- का अन्तर है जिसका विवरण साथ परिशिष्ट "ग" पृष्ठ 92 से 97 में संलग्न है। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अनुदान से निर्माण कार्यों में किये व्यय का कुल व्यय अनुदान रजिस्टर में दर्शाया गया जबकि रोकड़ बही में निर्माण कार्यों से किये कुल व्यय में उतनी ही राशि का व्यय निर्माण कार्य शीर्ष में दर्शाया गया जिसका भुगतान संविदाकार या मस्ट्रोएल द्वारा किया गया। अतः जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012-13 व 2013-14 में अनुदान से किये खर्च में क्रमशः ₹21328/- तथा ₹521357/- आया जिसका समाधान रोकड़ बही में की प्रविष्टियों को कुल व्यय के आधार पर करके इसका समाधान सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**6 नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत बजट की राशि ₹153.12 लाख का व्यय न करने बारे:-**

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 2011-12 से 2013-14 के दौरान स्वीकृत बजट व उसके विरुद्ध किए गए व्यय व शेष का विवरण निम्न प्रकार से था:-

| क्र०सं० | वर्ष    | स्वीकृत बजट (व्यय) ₹<br>लाखों में | वास्तविक व्यय<br>₹ लाखों में | अन्तर ₹ लाखों<br>में |
|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1       | 2011-12 | 8722600                           | 4964799                      | 3757801              |
| 2       | 2012-13 | 10879400                          | 4069658                      | 6809742              |
| 3       | 2013-14 | 11837400                          | 7092715                      | 4744685              |
|         |         | 31439400                          | 16127172                     | 15312228             |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वीकृत बजट के आधार पर व्यय नहीं किया गया के फलस्वरूप ₹153.12 लाख की राशि का व्यय कम किया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद की सीमा में नागरिकों को दी जानी वाली सुविधाओं के उपर होने वाली व्यय को निर्धारित स्वीकृत बजट से कम व्यय के फलस्वरूप सुविधाओं के लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

अतः पंचायत स्वीकृत बजट में दी गये लक्ष्य की राशि को शत प्रतिशत उपयोग करना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाई जा सकें। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

## 7 आयः—

### (1) दिनांक 31.3.2014 को गृहकर की ₹5.14 लाख की राशि वसूली योग्य शेषः—

नगर पंचायत नारकण्डा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/विवरणी के अनुसार दिनांक 31.3.14 को गृहकर की बकाया राशि ₹513574/— गृहकर दाताओं से वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

| वर्ष    | प्रारम्भिक शेष | मांग     | कुल       | प्राप्ति | अन्त शेष  |
|---------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 2011—12 | 326172         | 67600.20 | 393772.20 | 10035    | 383737.20 |
| 2012—13 | 383737.20      | 67594.20 | 451331.40 | 1755     | 449576.40 |
| 2013—14 | 449576.40      | 67594.60 | 517171.00 | 3597     | 513574.00 |

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.4.11 वसूली हेतु बकाया राशि ₹326172/—शेष थी जबकि 31.3.14 को बकाया गृहकर राशि ₹513574.00 शेष हो गई जिसका एक मात्र कारण नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 86 व 87 के अनुसार गृहकर वसूलने हेतु नहीं की गई कार्यवाही का परिणाम है। अतः नगर पंचायत नारकण्डा को सुझाव दिया जाता है कि नगर परिषद अधिनियम, 1994 (H.P. Municipal Act, 1994) की धाराओं के अनुसार शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

2 हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 77 के अनुसार नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष गृहकर की कर निर्धारण सूचियाँ/नये तौर पर (Assesment Register) तैयार किया जाना अपेक्षित था जबकि नगर परिषद कोई भी Assesment Register तैयार नहीं किया गया उक्त विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2012—13 से आज तक नगर परिषद सीमा के भीतर जितने मकानों एवं दुकानों का निर्माण हुआ है उन मकानों और दुकानों की न ही Assesment तैयार की गई और न ही उनका गृहकर निर्धारण किया गया जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को प्रतिवर्ष गृहकर में वसूल होने वाली आय की प्राप्ति न होने पर

लाखों ₹ की वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है जिस बारे नगर परिषद अपनी स्थिति स्पष्ट करें और सुझाव दिया जाता है जिन भवनों का गृहकर अभी तक निर्धारण नहीं किया गया उन भवनों का गृहकर निर्धारण शीघ्र किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

### 7.3 हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर का निर्धारण न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को ₹3.13 लाख की वित्तीय हानि:-

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र संख्या यू0डी0 एच (सी) (10)-7/98-II दिनांक 17 नम्बर 2003 के अन्तर्गत IInd वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए हर स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2002-03 के पश्चात हर वर्ष 7.5% से 1% की गृहकर की बढ़ौतरी करते हुये वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त तक स्थानीय निकायों सीमा के अन्तर्गत सभी निर्मित भवनों पर 12.5% की दर से गृह कर की वसूली करेगा जबकि नगर पंचायत नारकण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक 7.5% की दर से वसूली की गई जा रही है जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को गृहकर की आय में राशि ₹313223/- की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न है:-

| वर्ष    | 12.5% से गृह कर की राशि की मात्रा | जितनी गृह कर की मांग की गई | हानि          |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 2007-08 | 105657                            | 63394                      | 42263         |
| 2008-09 | 112527                            | 67516                      | 45011         |
| 2009-10 | 112527                            | 67516                      | 45011         |
| 2010-11 | 112676                            | 67606                      | 45070         |
| 2011-12 | 112892                            | 67600                      | 45292         |
| 2012-13 | 112882                            | 67594                      | 45288         |
| 2013-14 | 112882                            | 67594                      | 45288         |
|         | <b>782043</b>                     | <b>468820</b>              | <b>313223</b> |

अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी IInd वित्त आयोग की सिफारिशों में दिये निर्देशों की अनुपालना अविलम्ब करते हुये नगर पंचायत सीमा में आने वाले भवनों का गृह का निर्धारण 12.5% से वित्तीय वर्ष

2007-08 से आज तक करके शीघ्र वसूली हेतु कार्रवाई अमल में लाये तथा IInd वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत गृहकर का निर्धारण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**8 दिनांक 31.3.14 को किराये के रूप में ₹1785957/- की वसूली योग्य राशि शेष:-**

दिनांक 31.3.14 तक किराएदारों से ₹1785957/- किराये के रूप में वसूली की जानी शेष थी जिसका पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" में संलग्न है। दिनांक 31.3.11 तक ₹1486207/- की किराए के रूप में वसूली शेष थी जो दिनांक 31.3.14 को बढ़कर ₹1785957/- हो गई जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर पंचायत नारकण्डा द्वारा किराए की वसूली हेतु ठोस पग नहीं उठाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष किराए की बकाया राशि में बढ़ौतरी हो रही है। बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाए तथा की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

**9 पट्टेधारकों से टोकन लीज राशि की वसूली न करने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹22800/- की वित्तीय हानि:-**

नगर पंचायत नारकण्डा व्यवसायिक परिसर की 25 दुकानों की विभिन्न-2 अवधि में 99 वर्षों, 25 वर्षों व 35 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया परन्तु नव निर्मित दुकानों की नीलामी एवं शर्तों व अनुबन्ध के अनुसार पट्टे पर दी गई दुकानों के पट्टे धारियों से प्रत्येक वर्ष ₹100/- टोकन लीज राशि की वसूली कुछ एक पट्टेधारियों से वसूली न करने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹22800/- का वित्तीय हानि हुई है। अतः सम्बन्धित पट्टेधारियों जिसका विवरण निम्न प्रकार से है शीघ्र वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करें और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र०सं० | नाम                 | दुकान नं० | पट्टे की तिथि | वसूली योग्य टोकन लीज ₹ में |
|---------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 1       | श्री रोशन लाल मेखोक | 8         | 30.10.91      | 300                        |
| 2       | श्री हरि राम        | 6         | 30.10.91      | 1300                       |

|    |                                       |          |          |      |
|----|---------------------------------------|----------|----------|------|
| 3  | श्री चन्द्र मोहन                      | 7        | 30.10.91 | 300  |
| 4  | श्री जगजीवन प्रसाद                    | 3        | 30.10.91 | 300  |
| 5  | श्री राजेन्द्र सिंघा                  | 10       | 30.10.91 | 1300 |
| 6  | श्री प्रदीप सिंघा                     | 5        | 30.10.91 | 1300 |
| 7  | श्री रमन सरकेक कार्यालय               |          | 28.8.94  | 300  |
| 8  | वन विभाग नारकण्डा कार्यालय            |          | 15.8.94  | 1300 |
| 9  | ट्रांसपोर्ट आफिस कार्यालय             |          | 30.10.91 | 1300 |
| 10 | हि0प्र0 राज्य विपणन एवं वितरण<br>निगम | 7 व 9    | 2.2.95   | 2600 |
| 11 | श्री कृष्ण देव                        | 4        | 3.12.94  | 300  |
| 12 | हि0प्र0 राज्य सहकारी कार्यालय<br>बैंक |          | 27.4.94  | 300  |
| 13 | पुलिस विभाग कार्यालय                  |          | 10.10.96 | 1300 |
| 14 | टेलीफोन एक्सचेंज                      | कार्यालय | 02.05.93 | 1300 |
| 15 | हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम            | कार्यालय | 11.04.93 | 1300 |
| 16 | श्री पवन कुमार                        | 102      | 07.10.01 | 0300 |
| 17 | श्री ओम प्रकाश                        | 108      | 07.10.02 | 1300 |
| 18 | श्री राकेश आहुजा                      | 109      | 7.7.01   | 1300 |
| 19 | श्री राकेश आहुजा                      | 110      | 7.7.01   | 1300 |
| 20 | श्रीमती कृष्णा देवी                   | 103      | 7.7.01   | 300  |
| 21 | श्री राम लाल                          | 107      | 7.7.01   | 1300 |
| 22 | श्री सन्तोष कुमार                     | 111      | 7.7.01   | 300  |
| 23 | श्री हरीश मेहरा                       | 106      | 15.1.04  | 300  |
| 24 | श्री जगजीवन प्रसाद                    | 101      | 7.7.01   | 1300 |
| 25 | श्री प्रेम कुमार गुप्ता               | 112      | 7.7.01   | 300  |

---

**22800**

---

### 10.1 दिनांक 31.3.14 को मोबाईल टावर कम्पनियों से शुल्क की बकाया राशि ₹123500/- वसूली योग्य राशि शेष:-

नगर पंचायत सीमा के अन्दर पाँच मोबाईल टावर स्थापित है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या डी0आई0टी0-डी0ई0बी0 (आई0टी0) 2005 दिनांक 22.08.2006 तथा निदेशालय शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0 एच (ए0) 7/1/2006-10396-10444 दिनांक 25.9.2006 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न-2 मोबाईल कम्पनियों से मोबाईल टावर स्थापना शुल्क एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क क्रमशः ₹10000/- व ₹5000/- प्रति वर्ष वसूल करने अपेक्षित थे लेकिन नगर पंचायत द्वारा मोबाईल कम्पनियों से समय पर वसूली न करने के कारण ₹123500/- दिनांक 31.3.14 तक स्थापना शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क के रूप में बकाया राशि वसूली योग्य शेष थी। विवरण परिशिष्ट "ड" में संलग्न है। अतः मोबाईल कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क आदि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा परामर्श दी जाती है कि सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली करने हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाये तथा अविलम्ब वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

### 10.2 नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों के स्थापित टावरों नवीनीकरण फीस की नियमानुसार बढ़ौतरी न करने के कारण ₹6250/- की वित्तीय हानि:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या डी0आई0टी0-डी0ई0बी0 (आई0टी0) 2005 दिनांक 22.08.06 में जारी निर्देशों के अनुसार हर पाँच वर्ष के पश्चात नवीनीकरण शुल्क में 25% करके मोबाईल कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क की वसूली बढ़ी हुई दरों में करनी अपेक्षित थी। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत सीमा में स्थापित मोबाईल कम्पनियों के जो टावर है उनको 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके परन्तु नगर परिषद ने उक्त अधिसूचना से जारी निर्देशों के अनुसार 25% की वृद्धि नवीनीकरण शुल्क में न करके पूर्व में निर्धारित दर पर नवीनीकरण की वसूली की जा रही है जो अनियमित है जिस कारण नगर परिषद को ₹6250/- की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

अतः संचार कम्पनियों से नवीनीकरण की वसूली हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिये निर्देशों अनुसार न करने बारे औचित्य स्पष्ट करें तथा सम्बन्धित कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क की वसूली नियमानुसार करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये। अंकक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

# 11 व्यय:—

## (1) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेन्ट क्रय न करने के फलस्वरूप ₹29264/— की वित्तीय हानि:—

नगर पंचायत द्वारा निर्माण/मुरम्मत कार्यों के लिये सीमेन्ट की खरीद स्थानीय मार्केट से आपूर्ति निविदाएं आमन्त्रित करके की गई थी जबकि सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से किया जाना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमेन्ट के क्रय के लिये सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों आदि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्ति किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पत्र संख्या एच0पी0 एस0सी0 एस0पी0 प्रो0-24 (36) आर0सी0/2004-05-18132-187 दिनांक 25.09.04 में वर्णित है। इस पत्र में स्पष्ट किया है कि सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार दर से ₹40/— कम पर दर संविदा (Rate Contract) के आधार पर की जायेगी जिसके फलस्वरूप नगर निगम, परिसरों तथा नगर पंचायतों द्वारा किये जाने वाले निर्माण/मुरम्मत के कार्यों की लागत 25% कम हो सके व कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित न हो जबकि नगर पंचायत नाकरण्डा ने सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार से की जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

| क्र0सं0 | वा0सं0/दि0 | फर्म का नाम/बिल सं0/दि0                               | राशि  | सीमेन्ट की माँग | दर प्रति बोरी |
|---------|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 1       | 76/10.7.12 | Joshi Enterprises Naya Bazar Theog                    | 2680  | 8               | 335           |
| 2       | 77/10.7.12 | Mahamaya Trading Co. Narkanda Bill No. 143 dt. 6-6-12 | 16250 | 50              | 325           |
| 3       | 120/4.6.13 | M/S Kaushal Tradres Narkanda Teh. Kumarsain           | 7035  | 21              | 335           |

|               |                |                                                   |       |     |     |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| 4             | 132 / 28.6.13  | Mahamaya Trading<br>Co. Narkanda Distt.<br>Shimla | 33500 | 100 | 335 |
| 5             | 149 / 29.6.13  | Mahamaya Trading<br>Narkanda                      | 33500 | 100 | 335 |
| 6             | 222 / 20.11.13 | -do-                                              | 16500 | 50  | 335 |
| 7             | 278 / 21.12.13 | -do-                                              | 7590  | 23  | 330 |
| <b>117055</b> |                |                                                   |       |     |     |

यदि उक्त सीमेन्ट हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से की जाती तो नगर पंचायत द्वारा करवाये निर्माण/मुरम्मत कार्यों पर 25% कम लागत आती। अतः खुले बाजार से सीमेन्ट की खरीद के उपर ₹29264 (117055x25/100) का अपव्यय किया गया व नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जायें और भविष्य में सीमेन्ट की खरीद सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार खरीद करना सुनिश्चित किया जाये।

## (2) बिना औपचारिकता पूर्ण किये ₹36675/- का भुगतान

₹36675/- का भुगतान मै0 रमेश साईकल एवं गैस स्टोव वर्क्स, सोलन को रेडी रिक्शा तथा अन्य यन्त्रों के एवज में चैक संख्या 526366 दिनांक 26.11.11 द्वारा किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:-

1 उक्त सामान की आपूर्ति नगर पंचायत द्वारा केवल माँग कोटेशन आमन्त्रित करके की जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली की धारा 97 के अनुसार सामान की खरीद निविदायें आमन्त्रित करके की जानी अपेक्षित थी। अतः बिना निविदायें आमन्त्रित किये रेडी रिक्शा तथा अन्य यन्त्रों की खरीद के बारे स्थिति स्पष्ट की व अनियमित तरीके से किये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में ₹3000/- से राशि की खरीद नियमानुसार निविदाएं आमन्त्रित करके की जाये। ताकि बाजार दर प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त किया जा सके।

2 उक्त सामग्री की प्रविष्टि सामान्य स्टॉक रजिस्टर संख्या-5 पृष्ठ-4 में की गई दर्शाई है जबकि इन यन्त्रों/मशीनों की प्रविष्टि नियमानुसार सम्पत्ति रजिस्टर में की जानी अपेक्षित थी। अतः इसकी प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।



### 3 मानदेय के रूप में ₹10000/- का अनियमित भुगतान:-

वाउचर संख्या 153 माह 11/12 द्वारा ₹53500 पाँच माह का भुगतान मानदेय के रूप में प्रधान, उप प्रधान तथा पाषर्दों को किया गया अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या LSG (D) (1) 3/96-Loose दिनांक 11.9.12 में दी दरों के आधार पर ₹187.50 प्रति बैठक तथा महीने में चार बैठक की जानी अनिवार्य के निर्देश थे जिसके आधार पर ₹750 प्रतिमाह के हिसाब से पाषर्दों को भुगतान किया जाना अपेक्षित था इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जबकि उक्त वाउचर के अनुसार Elected members को ₹900 प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप Elected members को ₹150/- प्रतिमाह के हिसाब से अधिक भुगतान किया। अतः इसी प्रकार नगर परिषद प्रधान को ₹1800/- प्रतिमाह तथा उप प्रधान को ₹1500/- प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान अपेक्षित था जबकि प्रधान को ₹2400/- प्रतिमाह तथा उप प्रधान को ₹2000/- प्रतिमाह की दर से अनियमित भुगतान किया गया परिणामस्वरूप नगर परिषद प्रधान को ₹600/- प्रतिमाह तथा उप प्रधान को ₹500/- प्रतिमाह से अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| प्रधान, उपप्रधान तथा सदस्यों के नाम | जितने महीने का भुगतान किया | जिस दर से भुगतान किया | जिस दर से भुगतान किया जाना था | अन्तर | जितना अधिक भुगतान किया |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------------------|
| श्री ओम प्रकाश प्रधान               | 5                          | 2400                  | 1800                          | 600   | 3000                   |
| श्री रमेश राजटा उप प्रधान           | 5                          | 2000                  | 1500                          | 500   | 2500                   |
| श्री हिमांशु शर्मा सदस्य            | 5                          | 900                   | 750                           | 150   | 750                    |
| श्री काहन चन्द सदस्य                | 5                          | 900                   | 750                           | 150   | 750                    |
| श्री संदीप विशिष्ट सदस्य            | 5                          | 900                   | 750                           | 150   | 750                    |
| श्रीमती कविता नेगी सदस्य            | 5                          | 900                   | 750                           | 150   | 750                    |
| श्री सूरज मणी सदस्य                 | 5                          | 900                   | 750                           | 150   | 750                    |
| श्रीमती नीना कैथला सदस्य            | 5                          | 900                   | 750                           | 150   | 750                    |
| श्रीमती रेखा मोहनता सदस्य           |                            |                       |                               |       |                        |

कुल अधिक भुगतान ₹10000

अतः उक्त विवरण से दिये अधिक भुगतान की उचित स्रोत से वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये। इसके अतिरिक्त यदि अन्य मासों में भी प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों को इस प्रकार अनियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया गया है। अपने स्तर पर जाँच करके जाँच के उपरान्त वसूली भी सुनिश्चित की जाये।

**(4) ₹7473/- वेतन के रूप में अधिक भुगतान:-**

वाक़चर संख्या 172 माह 12/12 के तहत ₹7473/- निम्नविवरणानुसार श्री रणवीर सिंह चौहान लिपिक का वेतन की बकाया राशि का अधिक भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

**वाक़चर के अनुसार जितना भुगतान किया:-**

**Jan, 12 to June 12**

| Basic Pay          | D.A. | Rate of O.A.          | C.A. | H.R.A. | Total  |
|--------------------|------|-----------------------|------|--------|--------|
| PB+GP<br>7060+1900 | 5824 | 65%                   | 200  | 125    | 15109  |
|                    |      | Due 7 Month x 15109   |      |        | 105763 |
|                    |      | Drawn 7 Month x 13855 |      |        | 96985  |
|                    |      |                       |      |        | ₹8778  |

**July 12**

| Basic Pay          | D.A. 72% |       | C.A. | H.R.A. | Total |
|--------------------|----------|-------|------|--------|-------|
| PB+GP<br>7060+1900 | 6451     |       | 200  | 120    | 15731 |
|                    |          | Due   |      | 15731  |       |
|                    |          | Drawn |      | 13855  | 1876  |

**August 12 to Sept 12**

| Basic Pay | D.A. |                 | C.A. | H.R.A. | Total |
|-----------|------|-----------------|------|--------|-------|
| 7330+1900 | 6645 |                 | 200  | 120    | 16195 |
|           |      | Due 2 x 16195   |      | 32390  |       |
|           |      | Drawn 2 x 13855 |      | 27710  | 4680  |

**Oct, 12**

| Basic Pay  | D.A. | C.A               | H.R.A. | Total |
|------------|------|-------------------|--------|-------|
| 10300+3200 | 9720 | 200               | 300    | 23720 |
|            |      | Drawn             |        | 13855 |
|            |      |                   |        | 9865  |
|            |      | Total Payment     |        | 25199 |
|            |      | Less already Paid |        | 11214 |
|            |      |                   |        | 13985 |

**जितना भुगतान बनता था:-**

**Jan, 12 to June, 12**

| Basic Pay | D.A. | C.A                  | H.R.A. | Total |
|-----------|------|----------------------|--------|-------|
| 7000+1900 | 5785 | 200                  | 125    | 15010 |
|           |      | Due 6 month x 15010  | 90060  |       |
|           |      | 1/12 to 2/12 2x13885 | 27770  |       |
|           |      | Drawn 3/12 x 13889   | 13889  |       |
|           |      | 4/12 to 6/12 3x14512 | 43536  |       |
|           |      |                      | 85195  | 4865  |

**July, 2012**

| Basic Pay | D.A. 72% | C.A   | H.R.A. | Total |
|-----------|----------|-------|--------|-------|
| 7000+1900 | 6408     | 200   | 120    | 15628 |
|           |          | Due   | 15628  |       |
|           |          | Drawn | 14512  | 1116  |

**August 12 to Sept 12**

| Basic Pay | D.A. 72% | C.A             | H.R.A. | Total |
|-----------|----------|-----------------|--------|-------|
| 7270+1900 | 6602     | 200             | 120    | 16092 |
|           |          | Due 2 x 16092   | 32184  |       |
|           |          | Drawn 2 x 14512 | 29024  |       |
|           |          |                 | 3160   | 3160  |

Oct, 12

|            |          |             |     |        |            |
|------------|----------|-------------|-----|--------|------------|
| Basic Pay  | D.A. 72% |             | C.A | H.R.A. | Total      |
| 10300+3200 | 9720     |             | 200 | 300    | 23720      |
|            |          | Drawn       |     |        | 15135      |
|            |          |             |     |        | 8585       |
|            |          |             |     | Total  | 17728      |
|            |          |             |     | Drawn  | 11214      |
|            |          |             |     |        | 6512       |
|            |          | अधिक भुगतान |     |        | 13985-6512 |
|            |          |             |     |        | ₹7473      |

अतः उक्त अधिक भुगतान राशि ₹7473/- की जाँच पुनः अपने स्तर पर भी करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

- (5) गलत गणना के कारण विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को मँहगाई भत्ते के रूप में ₹18361/- का अधिक भुगतान:-

नगर पंचायत द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मँहगाई भत्ते की बकाया राशि का गलत गणना के फलस्वरूप ₹18361/- का अधिक भुगतान किया गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

| अधिकारी/कर्मचारी का नाम    | माह          |                 |      | वास्तविक में मँहगाई भत्ते के बकाया में जितना भुगतान देय था |                        |     |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------|
|                            |              | Basic Pay PB+GP | Rate | D.A.                                                       | D.A. का जो भुगतान किया |     | जितना भुगतान बनता था |
| श्री हरि कपूर कनिष्ठ सहायक | 1/12 to 2/12 | 9180+1950=11130 | 65%  | 7234                                                       | 5676                   |     | 1557X2=3116          |
|                            | 3/12 to 6/12 | 11130           | 65%  | 7234                                                       | 6455                   | 58% | 779X3=3116           |
|                            | 7/12         | 11130           | 72%  | 8014                                                       | 6455                   | 58% | 1559X1=1559          |

|                                   |                  |                                                     |      |      |      |     |             |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------------|
|                                   | 8/12 to<br>10/12 | 11130                                               | 72%  | 8014 | 7235 | 65% | 780X3=2340  |
|                                   |                  |                                                     |      |      |      |     | 10131       |
|                                   |                  | वाऊचर द्वारा जितना भुगतान किया                      |      |      |      |     | ₹14024      |
|                                   |                  | विवरण अनुसार जितना भुगतान देय था                    |      |      |      |     | ₹10131      |
|                                   |                  | अधिक भुगतान                                         |      |      |      |     | ₹3893       |
| श्री रणवीर चौहान<br>लिपिक         | 1/12 to<br>2/12  | 7000-1900=<br>8900                                  | 65%  | 5785 | 4339 | 51% | 1246x2=2492 |
|                                   | 3/12 to<br>6/12  | 8900                                                | 65%  | 5785 | 5162 | 58% | 623x4=2492  |
|                                   | 7/12             | 8900                                                | 72%  | 6408 | 5162 | 58% | 1246x1=1246 |
|                                   | 8/12 to<br>10/12 | 8900                                                | 72%  | 6408 | 5785 | 65% | 623x3=1869  |
|                                   |                  |                                                     |      |      |      |     | 8099        |
|                                   |                  | वाऊचर के द्वारा जितना भुगतान किया                   |      |      |      |     | ₹11214      |
|                                   |                  | विवरण अनुसार जितना भुगतान देय था                    |      |      |      |     | ₹8099       |
|                                   |                  | अधिक भुगतान                                         |      |      |      |     | ₹3115       |
| श्री जोगिन्द्र सिंह<br>सेवादर एवं | 1/12 to<br>2/12  | 5700+1300=<br>7000                                  | 650% | 4550 | 3570 | 51% | 980x2=1960  |
| श्री मादू राम सफाई<br>कर्मचारी    | 3/12 to<br>6/12  |                                                     | 650% | 4550 | 4060 | 58% | 490x4=1960  |
|                                   | 7/12             |                                                     | 72%  | 5040 | 4060 | 58% | 980x1=980   |
|                                   | 8/12 to<br>10/12 |                                                     | 72%  | 5040 | 4550 | 65% | 490x3=1470  |
|                                   |                  |                                                     |      |      |      |     | 6370        |
|                                   |                  | वाऊचर के द्वारा जितना भुगतान प्रति कर्मचारी को किया |      |      |      |     | ₹8820       |
|                                   |                  | विवरण अनुसार जितना भुगतान प्रति कर्मचारी देय था     |      |      |      |     | ₹6370       |
|                                   |                  | जितना अधिक भुगतान प्रति कर्मचारी को किया            |      |      |      |     | ₹2450       |
|                                   |                  | कुल अधिक भुगतान 2450x2                              |      |      |      |     | ₹4900       |
| श्री दीप राम<br>श्री अमर चन्द एवं | 1/12 to<br>2/12  | 5090+1300=<br>6390                                  | 65%  | 4154 | 3259 | 51% | 895x2=1790  |
| श्रीमती कुसुम लता                 | 3/12 to          |                                                     | 65%  | 4154 | 3706 | 58% | 448x4=1792  |

|               |                                                             |  |     |      |      |     |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|-----|------------|
| सफाई कर्मचारी | 6/12                                                        |  |     |      |      |     |            |
|               | 7/12                                                        |  | 72% | 4600 | 3706 | 58% | 980x1=980  |
|               | 8/12 to<br>10/12                                            |  | 72% | 4600 | 4154 | 65% | 446x3=1338 |
|               |                                                             |  |     |      |      |     | ₹5900      |
|               | वाऊचर के द्वारा जितना भुगतान प्रति कर्मचारी को किया         |  |     |      |      |     | 8051       |
|               | विवरण के अनुसार जितना भुगतान प्रति कर्मचारी को किया जाना था |  |     |      |      |     | 5900       |
|               | जितना अधिक प्रति कर्मचारी भुगतान किया                       |  |     |      |      |     | 2151       |
|               | कुल अधिक भुगतान                                             |  |     |      |      |     | 6453       |

अतः उक्त दिये गये विवरण के आधार पर अधिकारी/कर्मचारियों को ₹18361/- (67031-48670) का अधिक भुगतान अपने स्तर पर पुनः गणना करने के पश्चात वसूली सुनिश्चित की जाये।

**(6) ₹2578/- श्री हरि कपूर कनिष्ठ सहायक को वेतन का अधिक भुगतान:-**

वाऊचर संख्या 154 माह 12/12 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री हरि कपूर कनिष्ठ सहायक को निम्नविवरणानुसार गलत गणना के फलस्वरूप वेतन ₹2578/- का अनियमित भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अधिक किये गये भुगतान की वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाया जाए।

जिस माह के वेतन का भुगतान            जितना भुगतान किया गया    जितना भुगतान देय था  
किया गया

|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| नम्बर 2012 | B.P. 12299  | 11600        |
|            | G.P 4400    | 3600         |
|            | D.A. 12023  | 10944        |
|            | CA 200      | 200          |
|            | HRA 450     | 450          |
|            | 29372       | 26794        |
|            | अधिक भुगतान | ₹29372-26794 |
|            |             | 2578         |

## 12 स्थापना:—

कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन वृद्धियों 1.01.06 से मिले संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत वेतन निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टि की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ एक कर्मचारियों की सेवा पंजिका में वेतन का निर्धारण नियमानुसार न करके गलत निर्धारण किया गया जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

(1) सेवा पंजिका में नियमानुसार वेतन का निर्धारण जो बनता है  
श्री रणवीर चौहान, लिपिक

1.8.12 7270+1900

हि0प्र0 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B(7) /64/2010  
dated 27.9.12 के अन्तर्गत

1.10.12 10300+3200

1.8.13 10710+3200

1.8.14 11130+3200

सेवा पंजिका में जितना वेतन निर्धारण किया गया

1.8.11 10570+3200

1.8.12 10990+3200

1.8.13 11420+3200

1.8.14 11860+3200

उक्त किये गये वेतन निर्धारण के अनुसार श्री रणवीर सिंह चौहान लिपिक, को 1.3.13 से 31.7.14 तक ₹22467/- का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान वेतन में किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये।

| Staement of pay Excess paid due to wrong fixation of shri Ranvir Chohan Clark |                      |          |      |       |       |       |          |      |       |       |       |              |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------|-------|-------|-------|----------|------|-------|-------|-------|--------------|-------|----------------|
| S. No                                                                         | Period               | Pay Band | G.P. | Total | D.A.  | Total | Pay Band | G.P. | Total | D.A.  | Total | Differe nce  | Month | Excess Payment |
| 1                                                                             | 01.03.13 to 30.06.13 | 10990    | 3200 | 14190 | 11352 | 25542 | 10300    | 3200 | 13500 | 10800 | 24300 | 1242         | 4     | 4968           |
| 2                                                                             | 01.07.13 to 31.07.13 | 10990    | 3200 | 14190 | 12771 | 26961 | 10300    | 3200 | 13500 | 12150 | 25650 | 1311         | 1     | 1311           |
| 3                                                                             | 01.08.13 to 31.12.13 | 11420    | 3200 | 14620 | 13158 | 2778  | 10710    | 3200 | 13910 | 12519 | 26429 | 1349         | 5     | 6745           |
| 4                                                                             | 01.01.14 to 31.07.14 | 11420    | 3200 | 14620 | 13158 | 27778 | 10710    | 3200 | 13910 | 12519 | 26429 | 1349         | 7     | 9443           |
|                                                                               |                      |          |      |       |       |       |          |      |       |       |       | <b>Total</b> |       | <b>22467</b>   |

2 श्री हरि कपूर, कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत नारकण्डा ने प्रस्ताव संख्या 231 दिनांक 3.12.13 के द्वारा कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति देकर वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 10300+4400 पर तैनात कर दिया जोकि अनियमित था हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकायों सेवा नियम के अनुसार स्थानीय निकायों में तैनात ministerial staff को नियुक्ति करने तथा पदोन्नत करने की शक्ति निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पास है। अतः श्री हरि कपूर, कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर नगर परिषद के प्रस्ताव द्वारा पदोन्नत करना अनियमित ही नहीं एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये इसके अतिरिक्त श्री हरि कपूर, कनिष्ठ सहायक की पदोन्नत वरिष्ठ सहायक के पद पर की गई जबकि नगर पंचायत में वरिष्ठ सहायक का कोई पद सृजन नहीं किया गया है। यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है व पदोन्नति को निरस्त किये जाने की स्थिति में जितना भी अधिक भुगतान कर्मचारी को किया उसकी अपने स्तर पर गणना करके वसूली अविलम्ब करके नगर परिषद निधि में की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

### 13 सचिव, पटवारी को मानदेय के रूप में ₹45800/- का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नारकण्डा के सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार नायब तहसीलदार कुमारसैन तथा पटवारी का कार्यभार पटवारी, नारकण्डा राजस्व विभाग को दिया गया था जिसके फलस्वरूप नायब तहसीलदार को नगर पंचायत द्वारा ₹1000/- तथा पटवारी को ₹300/- प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया गया जिन-2 नायब तहसीलदारों तथा पटवारियों का मानदेय का भुगतान किया गया उसका विवरण निम्न है:-

| नायब तहसीलदार/पटवारी का नाम     | अवधि              | मानदेय की राशि | कुल मानदेय   |
|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| श्री पी0सी0 नेगी नायब तहसीलदार  | 1.4.11 से 28.2.12 | 1000           | 11000        |
| श्री एल0आर0 शर्मा नायब तहसीलदार | 1.4.12 से 31.3.14 | 1000           | 24000        |
| श्री चाँद राम पटवारी            | 1.4.11 से 31.3.14 | 300            | 10800        |
|                                 |                   | <b>कुल योग</b> | <b>45800</b> |



उक्त मानदेय का भुगतान किन आदेशों के अन्तर्गत किया गया से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं किया गया जिस के अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जबकि हिमाचल प्रदेश द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के लिये किसी भी प्रकार के मानदेय पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व व्यय की सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा की जाये।

#### 14 वाऊचर संख्या 100 माह 3/11 राशि ₹705546/—

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| कार्य का नाम:—             | C/O Ground floor of Rehan Basera at Narkanda |
| एजेंसी/संविदाकार का नाम:—  | श्री राजेन्द्र प्रसाद, संविदाकार             |
| आंबटन पत्र:—               | 114 दिनांक 30.7.10                           |
| समय:—                      | चार माह                                      |
| आरम्भ करने की तिथि:—       | 13.8.10                                      |
| कार्य पूर्ण करने की तिथि:— | 12.12.10                                     |
| माप पुस्तिका सं० एवं पृष्ठ | 6 पृष्ठ 35 से 45                             |

रैहन बसेरा की धरातल मंजिल के निर्माण के लिये निदेशालय शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला ने RGURF के अनुदान के अन्तर्गत ₹731700/— का अनुमान पत्र स्वीकृत किया गया। उक्त अनुमान पत्र के आधार पर दिनांक शून्य को निविदायें आमन्त्रित हेतु नोटिस बोर्ड में Notice inviting Tender का ज्ञापन लगाया गया जिसके अनुसार 15.7.10 को निविदायें भर कर नगर पंचायत कार्यालय में जमा करने की समय अवधि रखी गई अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के आंबटन एवं निष्पादन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई:—

1 उक्त कार्य का आंबटन जिस आंबटन के द्वारा किया गया उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उक्त कार्य का आंबटन कितने Premium पर दिया गया।

2 माप पुस्तिका संख्या 6 पृष्ठ 35 पर की गई प्रविष्टियों के आधार पर निर्माण कार्य दिनांक 13.8.10 को शुरू करके नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में दिये समय के आधार पर कार्य दिनांक 12.12.10 को 4 माह में पूर्ण किया जाना था जबकि उक्त कार्य 20.9.11 को लगभग 9 माह देरी से पूर्ण किया गया। संविदाकार द्वारा किये अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार यदि संविदाकार समय बढौतरी हेतु अनुमति प्राप्त नहीं करता है तो नियमानुसार Clause-2, 3 के

अनुसार ऑबटन राशि के 10% का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान था। नगर पंचायत न तो इस कार्य में ठेकेदार द्वारा समय बढ़ौतरी से सम्बन्धित दस्तावेज लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये और न ही ठेकेदार द्वारा कार्य को देरी से पूर्ण करने के फलस्वरूप अनुबन्ध में दी शर्तों के आधार पर जुर्माना लगाया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(3) **सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना प्राप्त किये ₹67159/- का राशि का substitute/extra items निर्माण कार्य का निष्पादन करने बारे:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार ने निर्माण कार्य में substitute/extra items का निष्पादन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किये किया गया प्रतीत होता है क्योंकि नगर पंचायत द्वारा इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया निर्माण कार्य में जो substitute/extra items निष्पादित की है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

| माप पुस्तिका<br>सं०/पृ०सं० | मद का नाम                                                                                                                    | Item No.       | Quantity   | Rate    | Total<br>Amount |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 6/39                       | P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 40mm Normal size) & ceming complete in foundation plinth                        | 13             | 2.753 cum  | 3130.20 | 8617            |
| 6/40                       | Precast chequered tiles 20mm thick marble chips laid over 25mm thick cement 1:6 (1 cement 6 sand and joint with neat cement) | 16             | 23.727 sqm | 565     | 13406           |
| 6/40                       | Finsing wall with mater proofing cement paint of approved brand and many facturse (two ) on under casted wall surface        | 158.774<br>sqm | 32.65      | 5184    | 27207           |
|                            | <b>Add 20% premium on above rates</b>                                                                                        |                |            |         | <b>5441.40</b>  |
|                            | <b>Total</b>                                                                                                                 |                |            |         | <b>32648.40</b> |
| 6/36                       | Providing from work forsteed platesi/C untring Shuttering strutting propping etc.                                            |                |            |         |                 |
|                            | (a) Vertical surfaces such as wall                                                                                           | 31.640         | 158.85     | 5026    |                 |

|      |                                                                                                  |          |                        |              |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|--|
| 6/36 | P/L RCC 1:2:4 (1 Cement 25 and 4 stone aggregate 20mm Normal Size/Couring complete in foundation | 6224     | 3244.70                | 20195        |  |
| 6/40 | Suplying & fining glass pauer to doors & window 4mm thick                                        | 5.713sqm | 494.65                 | 2826         |  |
| 6/40 | Provinding & fraing new woods to glass paces                                                     | 39.78    | 17.90                  | 712          |  |
|      |                                                                                                  |          | <b>Total</b>           | <b>28759</b> |  |
|      |                                                                                                  |          | <b>Add 20% Premium</b> | <b>5752</b>  |  |
|      |                                                                                                  |          | <b>Total</b>           | <b>34511</b> |  |

उक्त कार्य में निष्पादित ₹67159 की अतिरिक्त मद तथा Subsitute items को करवाया गया जबकि नियमानुसार इसका भुगतान करने से पूर्व इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जानी अनिवार्य थी इसके अतिरिक्त इस निर्माण कार्य में कुल राशि ₹826606/- का भुगतान किया गया परन्तु अन्तिम बिल का भुगतान करने से पूर्व न तो इस कार्य की Douation Statement बनाकर इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जो अनियमित था। अतः अतिरिक्त आईटम Subsitute items तथा अन्तिम बिल का भुगतान Final Devation Statement की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से किये बिना भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

#### 15 रैन बसेरा नारकण्डा हेतु फर्नीचर, बिस्तर इत्यादि की खरीद में पाई गई अनियमितताएं:-

नगर पंचायत नारकण्डा ने रैनबसेरा के लिये फर्नीचर बिस्तर इत्यादि की निम्न वस्तुओं की खरीद पर ₹131692/- का व्यय किया। व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

नगर पंचायत नाकरण्डा ने रैन बसेरा के लिये निम्नलिखित सामग्री हेतु निविदाएं (कोटेशन) आमन्त्रित की:-

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Bed Sheets superior Quality        |
| 2 | Bed Sheets                         |
| 3 | Blnkets Single Superior Quality    |
| 4 | Bkankets single                    |
| 5 | Bed Sheets Double Superior quality |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 6  | Curtain stitching charges        |
| 7  | Curtain cloth many quality       |
| 8  | Curtain Cloth Simple             |
| 9  | Cartain guilt 5Kg                |
| 10 | Touer fall size superior quality |
| 11 | Tower medium size                |
| 12 | Tower full size                  |
| 13 | Quilt cover VIP                  |
| 14 | Pillow superior quality          |
| 15 | Bed Box                          |
| 16 | Matters                          |
| 17 | Office Table                     |
| 18 | Pack Table                       |

अतः न्यूनतम दरों के आधार पर M/S Jai Laxmi Furniture Shimla तथा M/S Preet furnitures Shimla से उक्त सामग्री की खरीद की गई और फर्म को निम्नलिखित बिलों का भुगतान किया गया।

|   |                                                              |        |
|---|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | M/S Jai Laxmi Furnitures, Shimla Bill No. 452 dated 29.11.12 | 63550  |
| 2 | M/S Preet furnitures Shimla Bill No. 3482 dt. 18.12.12       | 65307  |
| 3 | -do- Bill No. 3483 dt. 18.12.12                              | 2835   |
|   |                                                              | 131692 |

जबकि HPFR, 2009 की धारा 98 के अनुसार ₹100000 तथा इससे ऊपर की खरीद लोकल कमेटी जिसमें कम से कम तीन सदस्य हो, की recommendation पर की जानी अपेक्षित थी जबकि नगर पंचायत ने बिना कमेटी की बनाये उक्त सामग्री की खरीद Quatations के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्मों से की जोकि अनियमित था बिना Purchase Commiitte का गठन किये सामग्री की खरीद बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अनियमित तरीके से किये गये उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

1      रैहन बसेरा नारकण्डा के लिये बिल संख्या 452 दिनांक 29.11.12 मै0 लक्ष्मी फर्नीचर, राईघाट, ठियोग जिला शिमला तथा मै0 प्रीत फर्नीचर बिल संख्या 3482 दिनांक 18.12.12 एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कुसुम्पटी, शिमला-9 से क्रमशः ₹63550 /- ₹65307 /- के सामग्री

की खरीद अवधि 12/12 को कर ली गई जबकि अभी तक रैहन बसेरा को शुरू नहीं किया गया जबकि रैहन बसेरा में फर्नीचर बिस्तर आदि को लगाये लगभग दो साल होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक रैहन बसेरा को उपयोग शुरू नहीं किया गया इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त सामग्री की प्रविष्टि सामान स्टॉक रजिस्टर में की गई दर्शाई है जबकि इनकी प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर में कौन-2 से कमरे में कौन-2 सा फर्नीचर लगाया है का पूर्ण विवरण सहित प्रविष्टि की जायें और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## (2) रैन बसेरा नाकरण्डा को जनता की सुविधा हेतु प्रयोग में न लाया जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा रैन बसेरा का निर्माण 20.9.11 को कर लिया गया था तथा उसके लिये फर्नीचर आदि की खरीद 12/12 में की गई जिसके निर्माण एवं फर्नीचर की खरीद पर ₹2588701/- का व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि माह 9/2014 तक भी नगर पंचायत द्वारा रैहन बसेरे की सुविधा नागरिकों को अभी तक नहीं दी जा रही है रैहन बसेरा बन्द पड़ा है। जिसके कारण नगर पंचायत को लाखों रूपयों की वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है व नागरिकों को भी इस सुविधा से वंचित रखा गया है। अतः रैन बसेरा को अभी तक उपयोग न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये और रैन बसेरा को शीघ्र खुलने के लिये कार्यवाही की जाये ताकि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**रैन बसेरा के निर्माण में किये कुल व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-**

|   |                                     |                |
|---|-------------------------------------|----------------|
| 1 | भवन निर्माण पर खर्च                 | 2303919        |
| 2 | भवन को बिजली तथा पानी लगाने का व्यय | 147090         |
| 3 | फर्नीचर बिस्तर आदि की खरीद पर व्यय  | 131692         |
|   | <b>कुल व्यय</b>                     | <b>2588701</b> |

## 16 पंचायत भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अकाउंट कोड-1975 में दिये प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक एवं स्टोर का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण द्वारा बार-2 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में बार-2 आपत्ति उठाने के उपरान्त भी अभी तक नगर परिषद द्वारा स्टॉक एवं स्टोर की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं किया गया

जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। स्टॉक एवं स्टोर की प्रत्यक्ष सत्यापना न करने बारे नगर पंचायत स्थिति स्पष्ट करें तथा स्टॉक एवं स्टोर की प्रत्यक्ष सत्यापना अविलम्ब करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**17 Immovable property register (अचल सम्पत्ति रजिस्टर) का अभी तक रख-रखाव न करना:—**

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अकाउंट कोड-1975 की धारा 244 के अनुसार नगर पंचायत अपनी हर सम्पत्ति (चल एवं अचल) की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उस रजिस्टर का सत्यापन नगर पंचायत के सदस्य या सदस्यों की कमेटी द्वारा तीन वर्षों में एक बार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण द्वारा इस बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बार-2 आपत्ति उठाने पर भी अभी तक चल एवं अचल रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि अचल सम्पत्ति के रजिस्टर का रख रखाव किया जाए व सम्पत्ति रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जायें।

**18 लघु आपत्ति विवरणिका:—** अलग से कोई भी लघु आपत्ति अध्याचना जारी नहीं की गई।

**19 निष्कर्ष:—**लेखों में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(v)96/92खण्ड-2-1085-86 दिनांक 4.03.2015,  
शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

**पंजीकृत**

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला-171001
2. सचिव, नगर पंचायत नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/—

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.



परिशिष्ट "अ"

पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में पड़े अनिर्णीत पैरों में की गई कार्यवाही के उपरान्त नवीन स्थिति निम्न प्रकार से है

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/85 से 3/91

| क्र०सं० | पैरा संख्या    | पैरों पर कार्यवाही | टिप्पणी                          |
|---------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 1       | पैरा-8 (1)     | अनिर्णीत           |                                  |
| 2       | पैरा-8 (3)     | अनिर्णीत           |                                  |
| 3       | पैरा-8 (9) (क) | निर्णीत            | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
| 4       | पैरा-8 (9) (ख) | निर्णीत            | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 5       | पैरा-12 (क)    | अनिर्णीत           |                                  |

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

|   |             |          |
|---|-------------|----------|
| 1 | पैरा-16 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-16 (ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-16 (च) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-16 (ठ) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा- 17    | अनिर्णीत |

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2001

|    |             |          |                                  |
|----|-------------|----------|----------------------------------|
| 1  | पैरा-5 (4)  | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
| 2  | पैरा-9      | निर्णीत  | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 3  | पैरा-11     | अनिर्णीत |                                  |
| 4  | पैरा-13 (2) | अनिर्णीत |                                  |
| 5  | पैरा-15     | अनिर्णीत |                                  |
| 6  | पैरा-16 (3) | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
|    |             |          | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 7  | पैरा-22 (1) | अनिर्णीत |                                  |
| 8  | पैरा-22 (2) | अनिर्णीत |                                  |
| 9  | पैरा-22 (3) | अनिर्णीत |                                  |
| 10 | पैरा-22 (4) | अनिर्णीत |                                  |



**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2005**

|    |                    |          |                                  |
|----|--------------------|----------|----------------------------------|
| 1  | पैरा-5 (2) (3)     | अनिर्णीत |                                  |
| 2  | पैरा-6 (3)         | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
| 3  | पैरा-7 (4)         | निर्णीत  | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 4  | पैरा-7 (6)         | अनिर्णीत |                                  |
| 5  | पैरा-7 (9) (1)     | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
| 6  | पैरा-7 (9) (2)     | निर्णीत  | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 7  | पैरा-7 (9) (3)     | निर्णीत  |                                  |
| 8  | पैरा-7 (10)        | निर्णीत  |                                  |
| 9  | पैरा-12            | अनिर्णीत |                                  |
| 10 | पैरा-15 (1)        | अनिर्णीत |                                  |
| 11 | पैरा-15 (2)        | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
|    |                    |          | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 12 | पैरा-15 (4)        | अनिर्णीत |                                  |
| 13 | पैरा-21 (ख) से (च) | अनिर्णीत |                                  |
| 14 | पैरा-23 (1)        | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
|    |                    |          | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 15 | पैरा-23 (5)        | अनिर्णीत |                                  |
| 16 | पैरा-25            | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection   |
|    |                    |          | report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 17 | पैरा-26            | निर्णीत  |                                  |
| 18 | पैरा-27            | अनिर्णीत |                                  |
| 19 | पैरा-30 (1)        | अनिर्णीत |                                  |
| 20 | पैरा-30 (2)        | अनिर्णीत |                                  |
| 21 | पैरा-30 (3)        | अनिर्णीत |                                  |
| 22 | पैरा-30 (4)        | अनिर्णीत |                                  |
| 23 | पैरा-30 (5)        | अनिर्णीत |                                  |
| 24 | पैरा-30 (6)        | अनिर्णीत |                                  |

|    |             |          |                                                                 |
|----|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 25 | पैरा-30 (7) | अनिर्णीत |                                                                 |
| 26 | पैरा-31     | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 27 | पैरा-32 (2) | अनिर्णीत |                                                                 |
| 28 | पैरा-33     | अनिर्णीत |                                                                 |

**अंकेंक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07 तक**

|    |                     |          |                                                                 |
|----|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | पैरा-6 (i)          | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 2  | पैरा-6 (vii)        | अनिर्णीत |                                                                 |
| 3  | पैरा-6 (ix)         | अनिर्णीत |                                                                 |
| 4  | पैरा-6 (x)          | अनिर्णीत |                                                                 |
| 5  | पैरा-6 (xii)        | अनिर्णीत |                                                                 |
| 6  | पैरा-6 (xiii)       | अनिर्णीत |                                                                 |
| 7  | पैरा-7 (ii) से (vi) | अनिर्णीत |                                                                 |
| 8  | पैरा-8              | निर्णीत  | (उपरोक्त के आधार पर)                                            |
| 9  | पैरा-9              | निर्णीत  |                                                                 |
| 10 | पैरा-10             | निर्णीत  |                                                                 |

**अंकेंक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11 तक**

|   |          |         |                                                                                   |
|---|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | पैरा-3   | निर्णीत | (अंकेंक्षण शुल्क राशि ₹19800/- ड्राफ्ट संख्या 356597 दिनांक 26.7.12 को जमा कर दी) |
| 2 | पैरा-4   | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेंक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख कर दी गई है)                |
| 3 | पैरा-4.1 | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार)                   |
| 4 | पैरा-4.2 | निर्णीत |                                                                                   |
| 5 | पैरा-4.3 | निर्णीत |                                                                                   |

|    |           |          |                                                                 |
|----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 6  | पैरा-4.4  | निर्णीत  |                                                                 |
| 7  | पैरा-5.1  | निर्णीत  |                                                                 |
| 8  | पैरा-5.2  | निर्णीत  |                                                                 |
| 9  | पैरा-5.3  | निर्णीत  | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई)            |
| 10 | पैरा-5.4  | निर्णीत  | (—यथोपरि—)                                                      |
| 11 | पैरा-5.5  | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 12 | पैरा-6    | निर्णीत  |                                                                 |
| 13 | पैरा-7    | निर्णीत  | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनुसार) |
| 14 | पैरा-7.1  | अनिर्णीत |                                                                 |
| 15 | पैरा-7.2  | निर्णीत  | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनुसार) |
| 16 | पैरा-8    | निर्णीत  | (—यथोपरि—)                                                      |
| 17 | पैरा-8.1  | निर्णीत  | (—यथोपरि—)                                                      |
| 18 | पैरा-9    | निर्णीत  | (—यथोपरि—)                                                      |
| 19 | पैरा-9.1  | निर्णीत  | (—यथोपरि—)                                                      |
| 20 | पैरा-10   | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 21 | पैरा-10.1 | निर्णीत  | (—यथोपरि—)                                                      |
| 22 | पैरा-11   | निर्णीत  |                                                                 |
| 23 | पैरा-11.1 | निर्णीत  |                                                                 |
| 24 | पैरा-12   | निर्णीत  | (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)     |
| 25 | पैरा-13   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 26 | पैरा-14   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 27 | पैरा-14.1 | अनिर्णीत |                                                                 |
| 28 | पैरा-15   | अनिर्णीत |                                                                 |

|    |           |          |                                                                 |
|----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 29 | पैरा-15.1 | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 30 | पैरा-15.2 | अनिर्णीत |                                                                 |
| 31 | पैरा-16   | निर्णीत  | (अतिरिक्त निदेशक की Inspection report दिनांक 28.8.14 के अनुसार) |
| 32 | पैरा-16.1 | निर्णीत  |                                                                 |
| 33 | पैरा-17   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 34 | पैरा-18   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 35 | पैरा-18.1 | अनिर्णीत |                                                                 |
| 36 | पैरा-19   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 37 | पैरा-20   | निर्णीत  | (नगर पंचायत द्वारा दिये स्पष्टीकरण के आधार पर)                  |
| 38 | पैरा-20.1 | निर्णीत  | (-यथोपरि-)                                                      |
| 39 | पैरा-20.2 | निर्णीत  | (-यथोपरि-)                                                      |
| 40 | पैरा-21   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 41 | पैरा-22   | अनिर्णीत |                                                                 |
| 42 | पैरा-23   | निर्णीत  |                                                                 |
| 43 | पैरा-24   | निर्णीत  |                                                                 |